भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4176
बुधवार, 1 अप्रैल, 2026/11 चैत्र, 1948 (शक)को उत्तरार्थ

बहुउद्देशीय पीएसीएस

4176. श्री सतनाम सिंह संधू:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा यथाअनुमोदित प्रत्येक पंचायत/गाँव में बहु-उद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापना के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक पंजीकृत नई सहकारी समितियों की संख्या कितनी है और उनका भौगोलिक विस्तार क्या है; और
(ग) इन संस्थाओं की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी के साथ अभिसरण को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) एवं (ख) भारत सरकार ने 15.02.2023 को नई बहुउद्देश्यीय PACS/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को स्वीकृति दी है, जिसका उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में देश के सभी पंचायतों और गाँवों को कवर करना है। इस पहल को NABARD, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) तथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों का सहयोग प्राप्त है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, कुल 36,040 बहुउद्देश्यीय पैक्स (M-PACS), डेयरी (M-DCS) तथा मत्स्य (M-FCS) सहकारी समितियाँ पंजीकृत की जा चुकी हैं; तथा योजना की स्वीकृति के बाद देशभर में 15,793 डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को सुदृढ़ किया गया है। अब तक 16,698 ग्राम पंचायतें (GPs) 9,444 M-PACS द्वारा कवर की गई हैं; 20,238 ग्राम पंचायतें 24,350 M-DCS द्वारा कवर की गई हैं; तथा 4,777 ग्राम पंचायतें 2,246 M-FCS द्वारा कवर की गई हैं। ऐसे नव पंजीकृत बहुउद्देश्यीय पैक्स , डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों की राज्य-वार संख्या **संलग्नक-1** में संलग्न है।

(ग) सरकार ने सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करने तथा उनकी वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, बिना अलग बजटीय आवंटन की आवश्यकता के, NABARD, NDDB और NFDB के बीच अभिसरण को क्रियान्वित करने हेतु "समग्र सरकार" (Whole of Government) दृष्टिकोण अपनाया है। इस संबंध में, कार्यान्वयन की निगरानी और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, सचिव (सहकारिता) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर समन्वय समिति (NLCC) का गठन किया गया है, जिसमें NABARD, NDDB और NFDB के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 19.09.2024 को एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) जारी की गई है, जिसमें सभी हितधारकों की स्पष्ट भूमिकाएँ, लक्ष्य और समय-सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।

*****

संलग्नक-1

15.02.2023 से पंजीकृत बहुउद्देश्यीय PACS (M-PACS) / डेयरी (M-DCS) / मत्स्य (M-FCS) सहकारी समितियों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य	M-PACS	M-DCS	M-FCS	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	11	13
2	आंध्र प्रदेश	11	1,077	2	1,090
3	अरुणाचल प्रदेश	130	24	27	181
4	असम	514	692	86	1,292
5	बिहार	57	4,590	2	4,649
6	चंडीगढ़	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	482	350	321	1,153
8	दिल्ली	0	0	0	0
9	गोवा	38	5	4	47
10	गुजरात	607	792	24	1,423
11	हरियाणा	37	177	6	220
12	हिमाचल प्रदेश	129	820	10	959
13	जम्मू और कश्मीर	230	1,327	37	1,594
14	झारखंड	45	276	194	515
15	कर्नाटक	255	1,183	51	1,489
16	केरल	0	0	0	0
17	लद्दाख	3	3	1	7
18	लक्षद्वीप	0	0	7	7
19	मध्य प्रदेश	667	1,151	242	2,060
20	महाराष्ट्र	213	1,202	167	1,582
21	मणिपुर	108	26	70	204
22	मेघालय	253	17	15	285
23	मिजोरम	98	2	2	102
24	नागालैंड	30	5	20	55
25	ओडिशा	1,545	807	62	2,414
26	पुडुचेरी	4	3	3	10
27	पंजाब	94	933	53	1,080
28	राजस्थान	1,613	2,811	25	4,449
29	सिक्किम	27	76	4	107
30	तमिलनाडु	28	962	31	1,021
31	तेलंगाना	0	192	102	294
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	5	0	1	6
33	त्रिपुरा	290	2	26	318
34	उत्तर प्रदेश	1,285	4,341	515	6,141
35	उत्तराखंड	621	269	122	1,012
36	पश्चिम बंगाल	24	234	3	261
	Total	**9,444**	**24,350**	**2,246**	**36,040**

स्रोत: 26.03.2026 की स्थिति के अनुसार NCD पोर्टल